छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय–सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)

वैज्ञानिक भण्डारण एवं गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग– Email ID: mt-swc.cg@gov.in

क्रमांक/10528/छगवेका/तक0 भ0हानि/SOP/2026–27/ नवा रायपुर, दिनांक –23-07-

// संशोधित आदेश//

निगम की सेवा से अधिकारी/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के पूर्व गोदामों में परिलक्षित भण्डारण हानि के प्रकरणों का गुण–दोष के आधार पर समयवद्ध प्रकिया से निराकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार " मानक संचालन प्रक्रिया " SOP निर्धारित की जाती है :–

(01) भण्डारण हानि/अन्य प्रकरणों में निगम को हुई आर्थिक क्षति अथवा जमाकर्ता द्वारा भण्डारण शुल्क देयकों से की गई कटौती से संबंधित प्रकरणों पर कार्यवाही संबंधित कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथी के 01 वर्ष पूर्व प्रारंभ की जावें।

(02) निगम के अधिकारी /कर्मचारियों की अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त आदेश जारी किया जावें एवं संबंधित की पदस्थी स्थल तथा अवधि से संबंधित जानकारी स्थापना अनुभाग द्वारा अन्य संबंधित समस्त अनुभाग को उपलब्धक कराई जावें।

(03) भण्डारण हानि/अन्य प्रकरणों में निगम को हुई आर्थिक क्षति/वसूली के संबंध में नो–ड्यूज की कार्यवाही स्थापना अनुभाग द्वारा संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती में प्रारंभ की जावें। संबंधित समस्त अनुभाग 01 माह की अवधि में वांछित जानकारी स्थापना अनुभाग को उपलब्ध करावें।

(04) शाखा प्रबंधक की हैसियत से पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के 06 माह पूर्व शाखा के प्रभार से कार्यमुक्त किया जावें।

(05) शाखा प्रबंधक की हैसियत से पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को शाखा प्रबंधक के कार्य–प्रभार से मुक्त करने के पूर्व के 06 माह में परिलक्षित भण्डारण हानि एवं अन्य प्रकरणों का संबंधित अनुभाग द्वारा सतत् परीक्षण कर अद्यतन स्थिति में रखा जावें।

(06) भण्डारण हानि/अन्य प्रकरणों के निराकरण हेतु मुख्यालय के आदेश कमांक 12972 .दिनांक 11.11.2025 के तहत् गठित समिति की नियमित बैठक आयोजित की जावें। समिति के निष्कर्ष पर सहमत होने की दशा में प्रतिवेदन तैयार कर मय हस्ताक्षर सहित प्रबंधक (वै0भ0गु0नि0) के माध्यम से समिति का प्रतिवेदन प्रबंध संचालक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

(07) अन्य कारणों से निगम को हुई आर्थिक क्षति/जमाकर्ता द्वारा भण्डारण शुल्क देयकों से काटी गई राशि के संबंध में गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर प्रबंधक (वाणिज्य) स्पष्ट अनुशंसा सहित समिति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगें।

(08) जमाकर्ता नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के CGSWC के गोदामों में भण्डारित स्कंधों के भण्डारण हानि प्रकरणों का ICAR/भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर निराकरण किया जावें।

उपरोक्तानुसार SOP का पालन सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक

...2

क्रमांक /10528/छगवेका/तक0 भ0हानि/SOP/2026–27/ नवा रायपुर, दिनांक –23-07-21

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ –

(01) निज सचिव, प्रबंध संचालक, छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिग कार्पोरेशन सेक्टर 24, मुख्यालय नवा रायपुर।

(02) प्रबंधक (कार्मिक/लेखा/वाणिज्य/वै0भ0गु0नि0) कार्यपालन अभियंता, नोडल अधिकारी (आई0टी0) प्रदाय अधिकारी छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिग कार्पोरेशन सेक्टर 24, मुख्यालय नवा रायपुर।

(03) समस्त शाखा प्रबंधक, छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिग कार्पोरेशन, छत्तीसगढ़। शाखा पर पदस्थ समस्त कर्मचारियों को अवगत करावें।

(04) समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिग कार्पोरेशन सेक्टर 24, मुख्यालय नवा रायपुर।

(05) प्रोग्रामर, छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय नवा रायपुर को निर्देशित है, कि उक्त आदेश को निगम की बेवसाईट पर अपलोड करें।

(06) मास्टर नस्ती/नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्रबंध संचालक